न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़(राज.)
पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.
निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–14/2019

1. सुरेन्द्र पुत्र श्योचन्द जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

बनाम

– प्रार्थी

1 जयसिंह पुत्र गोपीराम जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

2. रामधन पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।

3. भूराराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।

4. लिलाधर पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।

5. रतनसिंह पुत्र अमीलाल जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।

– अप्रार्थीगण

6. कमला पत्नी दलीपसिंह जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।

7. हवासिंह पुत्र सुरजाराम जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा

– तरतीबी अप्रार्थी

8. सरंपच ग्राम पंचायत भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

9. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3

निर्णय दिनांकः–16.02.2023

प्रार्थी सुरेन्द्र पुत्र श्योचन्द जाति यादव निवासी चक भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ने विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.05.2016 प्रकरण संख्या 51/12 निगरानी संख्या 8/13 बअनवानी जयसिह आदि बनाम सुरेन्द्र आदि बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा जिसकी रूह से रेस्पो. संख्या 1 व 2 पट्टे शुन्य घोषित किये गये को अपास्त किये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

16/2/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

1. यह कि निगरानीधीन निर्णय दिनांक 10.05.2016 प्रकरण संख्या 51/12 निगरानी संख्या 8/13 बअनवानी जयसिंह आदि बनाम सुरेन्द्र आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा जिसकी रूह से प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 9 के पक्ष में जारी पट्टे शून्य घोषित किये गये। उक्त आदेश विधि की अवहलेना में मनमाने तौर पर पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

2. यह कि अनवानी निगरानी में प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति भादरा द्वारा दिनांक 21.2.2013 को निर्णय पारित किया गया था, कि रेस्पो. संख्या–1 का दिनांक 05.03.2001 को तथा रेस्पो. संख्या–2 को दिनांक 15.12.2004 को जारी पट्टा खारिज किया गया तथा प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति भादरा के द्वारा दिनांक 21.02.2013 को पारित निर्णय के विरूद्व रेस्पो. सख्या 1 व 2 यानि वर्तमान प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या–8 ने न्यायालय हाजा में निगरानी प्रस्तुत की उक्त निगरानी दिनांक 12.11.2014 को स्वीकार की जाकर प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति भादरा का निर्णय दिनांक 21.02.2013 को अपास्त कर दिया तथा साक्ष्य सुनवाई के समुचित अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित करने के आदेश पारित किया।

3. यह कि मातहत अदालत ने निगरानीधीन निर्णय न्यायालय हाजा के निर्देशों की अवहेलना में पारित किया गया है। मातहत अदालत को न्यायालय हाजा ने साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाकर निर्णय पारित करने का अवसर देते हुये पारित करने का आदेश पारित किया था, परन्तु मातहत अदालत ने प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या–8 ता 9 को साक्ष्य सुनवाई का कोई समुचित अवसर नही दिया तथा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 8 ता 9 पर कोई सम्यक रूप से तामिल नही करवाई गई। नोटिस तामिल नही होने पर भी नोटिस आबाद मकान व सार्वजनिक स्थान पर चस्पा नहीं किये गये। इसलिए अपीलाधीन निर्णय बिना किसी सुनवाई के साक्ष्य का अवसर दिये बिना नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

4. यह कि सुरेन्द्र प्रार्थी को पट्टा 120 गुणा 70 फुट का दिनांक 05.03.2001 को सही एवं विधिवत तौर से जारी किया गया है क्योंकि उक्त पट्टा पुराने गृह का नियमितिकरण के तहत पटटा जारी किया गया है तथा आवासीय मकान के दक्षिणी दिशा में खाली पड़ी जगह मकान की प्रांगण/बाखल के तौर पर ही उसके मकान से अलग कानूनी तौर से नही किया जा सकता है तथा तरतीबी अपार्थी संख्या–8 कमला के पक्ष में 30 X 40 फुट का दिनांक 15.12.04 को पटटा आवास मानते हुये सही तौर से जारी किया है। अपने घर के प्रांगण की भूमि घर में ही सम्मिलित होती है तथा मातहत अदालत ने निर्णय में निर्देश की फाईण्डिग देते हुये शेष भूमि जहां मकान निर्मित है, को स्वंय आवासीय माना है, इसलिए मातहत अदालत का निर्णय एक पक्षीय तौर से है, जो अपास्तनीय है।

5. यह कि मातहत अदालत ने ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम का अभाव बताया है, जबकि विभिन्न तिथियों पर स्वंय ने वार्ड पचों की उपस्थिति दर्ज होना बताया है। टैक्नीकल आधार पर 18 वर्ष पुराने आवासीय गृहो के विनियमितिकरण जो आबादी भूमि है, पर आक्षेप नहीं उठाया जा सकता हे तथा 12 वर्ष के कब्जे से अधिक समय का कब्जा Adversese Possession के आधार पर प्रार्थी व

16/02/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 टाईटल प्राप्त हो चुके है। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय मनमाना एवं एक पक्षीय है।

6. यह कि डी. एल. सी. रेट कम होने पर ग्राम पंचायत विधिवत जारी पट्टो को शून्य घोषित नहीं कर सकती है। मात्र आक्षेप से यह स्पष्ट नहीं होता कि किसी भूमि की डीएलसी. रेट बकाया है तथा कितना जमा है। पुरानें मकानों के लिए जो भूमि हमेशा से कब्जा में है, लोकहित की भूमि नही है, जो रिहायशी है, उसे डी.एल.सी रेट की वसूली कम होने पर की जा सकती है, पट्टा खारीज नही किया जा सकता है। मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी बातों को नजरअन्दाज कर निगरानीधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

7. यह कि मातहत अदालत ने केवल Vigilance Committe का निर्णय का आधार माना है जबकि उक्त कमेटी निर्णय का आधार नही हो सकती है तथा मातहत अदालत ने प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी को मौका देखने से पूर्व कोई सूचना नोटिस नही दिया तथा एक पक्षीय रिपोर्ट तैयार करके विधि की अवहेलना में निगरानीधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

8. गुवाड़ में आकर यह कि निगरानीधीन निर्णय दिनांक 10.05.2016 एक पक्षीय तौर से बिना किसी सुनवाई के नैसर्गिक न्याय की व न्यायालय हाजा के निर्णय की अवहेलना में पारित किया गया है, जब न्यायालय हाजा के स्पष्ट आदेश थे कि तामिल करवाई जाकर साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे परन्तु मातहत अदालत ने प्रोपर सम्यक तौर से तामिल ही नही करवाई तथा निगरानीधीन निर्णय एक पक्षीय तौर से दिनांक 10.05.2016 को पारित किया गया, जिसकी प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी सख्या 8 ता 9 को कोई सूचना नही दी। दिनांक 03.11.2019 को अप्रार्थी ने धमकी दी, तुम्हारे घर को हम तुडवायेंगे क्योंकि हमने तुम्हारे खिलाफ निर्णय करवा दिया जिस पर प्रार्थी अगले दिन दिनांक 04.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जाकर आवेदन प्रस्तुत करके नकलें आदि ली, जिससे निगरानीधीन निर्णय ज्ञान से अन्दर मियाद है तथा मातहत अदालत ने निगरानीधीन निर्णय छुपाऐ रखा तथा अप्रार्थीगण भी पंचायत का संरपच बदलने का इन्तजार करते रहे। इसलिए उन्होने भी अप्रार्थी संख्या 8 व 9 व प्रार्थी के समक्ष कोई जिक्र नही किया उक्त निर्णय बिना किसी सुनवाई के बिना किसी सूचना के पारित किया है। इसलिए ज्ञान से अन्दर मियाद है दफा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र सलग्न निगरानी मिमो है।

9. यह कि निगरानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है व अन्दर मियाद है तथा मुर्कर्रर न्याय शुल्क पर तहरीर प्रस्तुत है।

अतः निगरानी प्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 10.05.2016 प्रकरण संख्या 51/12 निगरानी संख्या 8/13 बअनवानी जयसिंह आदि बनाम सुरेन्द्र आदि बअदालत प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा अपास्त फरमाया जावे।

16/02/23

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या– 1, 2, 4, 5, 6, 7 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। तलब करनें पर भी उपस्थित नहीं होनें पर उनके विरूद्ध

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 5, 7 की ओर श्री मांगीराम बैनिवाल एडवोकेट उपस्थित हुये एंव जवाब इकबाल प्रस्तुत किया। परन्तु तीनों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पूर्व में की जा चूकी है। अतः जवाब इकबाल रिकार्ड पर नहीं लिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से श्री हवासिंह पूनियां एडवोकेट उपस्थित हुये एंव प्रार्थना–पत्र म्याद अधिनियम की धारा 5 का जवाब प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या–8 जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस भिजवानें की उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये। अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति भादरा से रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता निगरानीकर्ता श्री मदनमोहन जोशी एंव अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या– 3 श्री हवासिंह पूनियां की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा ने निर्णय दिनांक 10.05.2016 द्वारा सुरेन्द्र व कमला का पट्टा खारिज कर दिया। बअदालत अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा के निर्णय दिनांक 21.02.2013 के द्वारा दिनांक 05.03.2001 को सुरेन्द्र और दिनांक 15.12.2004 को कमला को जारी पट्टा खारिज किया गया। इसकी निगरानी स्वीकार की गई, जिसमें निर्णय दिनांक 21.02.2013 को अपास्त कर दिया गया क्योंकि भूखण्ड 120 X 70 का है और पुरानें मकान का विनिमयतिकरण बताया है जबकि अतिरिक्त भूमि प्रांगण की थी और चारदीवारी भी थी । उक्त खाली भूमि को आंवटन/नीलामी का प्रावधान अपनें निर्णय में बताया। निगरानीकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया। नियमानुसार पैसा/कीमत भी मैं जमा करवा सकता था। दूसरा पट्टा कमला का भी खारिज कर दिया। नियमानुसार एक अपील से दो पट्टे खारिज नहीं किये जा सकते। यह कानूनी बिंदु था। उक्त निर्णयकृत अपील में जवाब प्रस्तुत करनें का कोई मौका नहीं दिया गया। आदेश 20 नियम 5 सीपीसी में रजिस्टर्ड डाक ए.डी. का प्रावधान है, जिसकी पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लीलाधर व रतनसिंह ने विरोध किया और अब स्वीकार कर रहे है। उनका कथन विधिमान्य न माना जावे। म्याद के बिंदु पर निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

(1) 2010 (3) CIVIL COURT CASES 374 (S.C.), SUPREME COURT OF INDIA, civil Apeal Nos. 2395 of 2008 with Civil Apeal Nos. 2397 of 2008, D/09-06-2010

(2) 2018 RBJ 279, IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER, page no. 279

अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 18.10.2012 को मेरी अपील अध्यक्ष प्रशासन एव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा में की। उक्त भूमि आम गली है जहां पट्टा जारी करवा लिया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का भाई सरपंच था। सार्वजनिक उपयोग की जगह होनें के कारण उक्त जगह बाबत 1938 में राजगढ़ निजामत मे केस दर्ज हुआ और उक्त भूमि को सुरक्षित रखा। मौका रिपोर्ट भी बनी दिनांक 03.12.2012 को सुरेन्द्र की भूखण्ड की

16/12/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

28 X 70 खाली है। जिसको शामिल कर बनाया गया। कान्ता पत्नी दलीपसिंह का 30 X 45 का पट्टा था, जो पट्टे पंचायती राज नियम के अधीन नहीं थे। जो कि पंचायत समिति भादरा ने खारिज कर दिया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.11.2014 को पत्रावली रिमाण्ड की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 31.08.2015 नोटिस जारी हुये लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 23.12.2015 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी हुये। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जो रिकार्ड प्रस्तुत किया गया उसमें पंचो को कोरम का अभाव बताया गया है व हस्ताक्षर भी नहीं है। नियमों की अनदेखी हुई है। पट्टाशुदा जगह आज भी खाली है। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 को जारी पट्टों में उक्त भूमि खाली बताई गई। मूल मिसल रिकार्ड में नहीं होना बताया गया। पट्टे नियम विरूद्ध होनें से निरस्त किये गये। उस निर्णय दिनांक 10.05.2016 के विरूद्ध निगरानी पुनः पेश की है। निगरानी की मद संख्या–1 सही नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या–8, 9 के पट्टे बताये गये है, जो कि पंचायत एंव पंचायत समिति के है। निगरानी की मद संख्या–02 अस्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय में 2 बार नोटिस जारी हुये। निगरानी की मद संख्या–4 की जगह आज भी खाली है। कोई निर्माण नहीं है। आम गली का पट्टा है। कमला के पट्टे का वर्णन है। कमला के पट्टे की पैरवी ये नहीं कर सकते क्योंकि कमला ने निर्णय को चुनौती नहीं दी है, निर्णय स्वीकार कर लिया है। निगरानी की मद संख्या 5 कोरम का अभाव बताया है जबकि अन्य बिंदुओ पर उपस्थिति बताई है। यह पंचो की इच्छा है, सहमती नहीं बनी होगी। Adversese Possession का यहां पर प्रावधान नहीं है, घोषणात्मक दावा नहीं है। निगरानी की मद संख्या–7 मौके बाबत सूचना नहीं थी, तो दो नोटिस जारी हुये। इनका दायित्व था कि वे उपस्थित होते। मौका रिपोर्ट सही है। म्याद निर्णय की जानकारी थी। देरी बाबत कोई कारण नहीं दिया गया। निगरानी की मद संख्या 8, 9 गलत लिखा गया है। निगरानी अस्पष्ट है। अतः निगरानी खारिज हो। अधीनस्थ न्यायालय में कोई राजीनामा नहीं हुआ लेकिन अब जरूर सहमती दी है, जिसका कोई महत्व नहीं है। म्याद हेतु निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

(1) [2019 RBJ 20] IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER, Revision/Colo/4980/200/ Bikaner, State of Rajasthan through Tehsildar Colonization, kolayat no. 1 Bikaner *versus* Suraj Narain s/o Narsinghdas Cast Swami r/o Bikaner Tehsil and Distt. Bikaner, page no. 20

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस पुनः कथन किया कि उक्त निर्णय वर्ष 1938 में हम पक्षकार नहीं थे, इसलिए हम पर लागू नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय में रास्ते बाबत कोई सुनवाई नहीं की गई। पंचायत का भी जवाब भी नहीं आया कि यह सही रास्ता है। किसी पंचायत ने ऐतराज नहीं किया। रजिस्टर्ड डाक का कोई प्रमाण नहीं है रसीदे भी नहीं है। एक अपील से दो पट्टे खारिज हुये है जो कि गलत है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में पुनः निवेदन किया कि हमनें आम गली कहा है, रास्ता नहीं। पंचायत का रिकार्ड है।

16/02/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

हमनें अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय एंव न्यायालय हाजा की पत्रावली को अवलोकन किया। न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रार्थी को सुनवाई एंव सूचना दिये बिना एकपक्षीय मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की है। अतः दोनों पक्षो की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया जाकर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः निर्णय पारित किया जावे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखनें से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न्यायालय हाजा के निर्देश पर ध्यान नहीं दिया गया। अप्रार्थीगणों को नोटिस तो जारी किये गये परन्तु तामिल हेतु निर्धारित नियम व प्रक्रिया को ध्यान में नही रखा गया। मौका निरीक्षण हेतु गठित कमेटी में कौन सदस्य होगें, इसका कहीं ब्यौरा नहीं है और न ही मौका रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है, यह स्पष्ट होता है। मौका निरीक्षण के विषय में कोई तिथि/समय आदि संबधी आदेश व पक्षकारों को मौका निरीक्षण संबधी नोटिस भी कहीं संलग्न नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के निर्देश का अनुसरण नहीं किया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ अदालत हर स्थिति में निगरानीकर्ता का पट्टा खारिज करनें पर आमादा है। यह मौका निरीक्षण रिपोर्ट स्वीकार योग्य नहीं है। पक्षकार लीलाधर एंव रतनसिंह द्वारा अधीनस्थ अदालत में विरोध किया गया था, वे अब इकबालिया कथन कर रहे है। अतः उनके पक्ष को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ अदालत ने गुणावगुण हेतु जो भी बिन्दु प्रस्तुत किये है, उनके विषय में सरपंच ग्राम पंचायत का कोई कथन नहीं है जबकि वह स्वंय पक्षकार है। जहां तक ग्राम पंचायत के कोरम का प्रश्न है, एक ही दिन दो तरह के कोरम किस प्रकार संभव है। अगर वार्ड पंचो की असहमति थी तो असहमति दर्ज की जानी चाहिए थी। ऐसे दस्तावेज पर फाईडिंग नहीं दी जा सकती, जैसा कि अधीनस्थ अदालत द्वारा किया गया है। अधीनस्थ अदालत द्वारा एक ओर उक्त भूखण्डों को मौका रिपोर्ट अनुसार 'आम रास्ता' माना है, वहीं दूसरी ओर अपनें निर्णय में इसे आंवटन/नीलामी योग्य माना है जो कि विरोधाभासी कथन है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय का दिनांक 10.05.2016 का निर्णय अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर दिनांक 16.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाता।

16/2/2023

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)